प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, मैनपुरी

विज्ञप्ति

(सं0 01/पुनर्नियुक्ति (सेवानिवृत्त)/2022–23 दिनांकित 31.10.2022)

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 14/एडमिन. "डी" सेक्शन दिनांकित 15.10.2022 के अनुक्रम में जनपद न्यायालय, मैनपुरी में उत्तर प्रदेश के जनपद न्यायालय से सेवा निवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को जनपद न्यायालय, मैनपुरी में अधोलिखित रिक्त पदों पर पुनर्नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:–

क्रम सं0	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	दफ्तरी	1
2	कार्यालय चपरासी/अर्दली	8
3	स्वीपर	1
4	स्वीपर कम चौकीदार	1

उपरोक्त पदों पर पुनर्नियुक्ति निम्नलिखित नियम व शर्तो के अधीन होगी:–

1. सेवा निवृत्त न्यायिक कर्मचारी द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की गयी हो।
2. पुनर्नियुक्ति, नियुक्ति दिनांक से 1 वर्ष के लिये (यदि पूर्व में ही समाप्त न कर दी जाये) अथवा रिक्त पदों के पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने तक अथवा सम्बन्धित पुनर्नियुक्त सेवा निवृत्त कर्मचारी की आयु 65 वर्ष होने तक, इनमें से जो भी पहले हो तक के लिये होगी।
3. सेवा निवृत्त कर्मचारी को पुनर्नियुक्ति पर उसके द्वारा अंतिम आहरित मूल वेतन में से मूल पेंशन की धनराशि को घटाते हुये कुल मेहनताना/मानदेय देय होगा।
4. सेवा निवृत्त कर्मचारी को पुनर्नियुक्ति उसकी पूर्व सेवा तथा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर प्रदान की जावेगी।
5. उपरोक्तानुसार पुनर्नियुक्त कर्मचारी के कलेण्डर वर्ष में एक माह की सेवा पर एक आकस्मिक अवकाश देय होगा।
6. निरन्तर 07 दिनों तक विना किसी सूचना के अनुपस्थित होने पर सम्बन्धित कर्मचारी की सेवायें बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेंगी।
7. उपरोक्तानुसार पुनर्नियुक्त कर्मचारी को न्यायालय के शिष्टाचार का पूर्ण रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. उपरोक्त नियुक्तियां पूर्ण रूप से अस्थायी होंगी।

सामान्य दिशा निर्देश:–

1. आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप अथवा पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 10.12.2022 तक प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मैनपुरी को प्रेषित किये जा सकते है।
2. आवेदन पत्र में सम्बन्धित सेवा निवृत्त कर्मचारी द्वारा अपने विवरण के साथ पत्राचार का पता तथा मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये।

विज्ञप्ति समस्त अवकाश प्राप्त कर्मचारीगण में परिचालित की जावे। सार्वजनिक प्रदर्शयन हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा तथा न्यायालय की वेबसाइट पर अवलोड की जावे।

विज्ञप्ति की एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, मैनपुरी को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जावे।

22/11/22

(नम्रता सिंह)
सदस्य, चयन समिति/
सिविल जज(प्रवर वर्ग) मैनपुरी

(बंश बहादुर यादव)
सदस्य, चयन समिति/
अपर सत्र न्यायाधीश(कोर्ट सं0–1) मैनपुरी

आदेश

अनुमोदित। विज्ञप्ति तदनुसार परिचारिलत की जावे।

28-11-2022

जनपद न्यायाधीश
मैनपुरी